तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो हुक्म की ताम... में जारी हुए
	राजूराम बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) सू.अ.अ.अपील सं0 64/2023 ( )	
05.02.24	अपीलार्थी राजूराम विश्नोई निवासी 664, गंगानगर, गुड़ा विश्नोईयान पं. स. लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.10...2023, में उसके द्वारा (1) श्रीमान् निवधक राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक राम/भू.अ./जी-3/62/2014/10102 दिनांक 20.06.2014 के द्वारा तरमीम वगैर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करने संबंधी परिपत्र की पालना में श्रीमान् भू-अभिलेख निरीक्षक डिगाड़ी के द्वारा पटवार मण्डल फिटकासनी में वर्ष 2022-23 में स्वीकृत नामान्तरकरणों की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष, (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) से जरिये पत्रांक 969 दिनांक 22.12.2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी राजूराम विश्नोई द्वारा सूचना का अधिकार अधि. के अन्तर्गत आवेदन पत्र पोस्टल ऑर्डर सं0 61एफ 831500 में चाही गई सूचना दिनांक 27.10.2023 को जरिये डाक से प्रार्थी को उक्त सूचना से संबंधित जानकारी की सूचना प्रेषित की गई। अपीलार्थी की अपील के अनुसार उसके आवेदन दिनांक 28.10.23 के संलग्न भा.पो.ऑ. सं0 61एफ 831498 के द्वारा श्रीमान् निवधक राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक राम/भू.अ./जी-3/62/2014/10102 दिनांक 20.06.2014 के द्वारा तरमीम वगैर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करने संवंधी परिपत्र की पालना में श्रीमान् भू-अभिलेख निरीक्षक डिगाड़ी के द्वारा पटवार मण्डल फिटकासनी में वर्ष 2022-23 में स्वीकृत नामान्तरकरणों की प्रमाणित प्रति चाही गई है, जबकि तहसीलदार कुड़ी भगतासनी ने तहसील कार्यालय में चिन्हित अतिक्रमणों एवं रेफरेंस से संबंधित प्रकरणों की सूचना प्रेषित की गई। उक्त अपील के सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अस्पष्ट होने से [illegible] की जाती है, परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:13:51 IST
Reason: SelfAttested